BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, BHIWANI

Cert-35(A)

छात्र/ पिता/ माता और नामांकन/ आधार संख्या के नाम में सुधार के लिए आवेदन

(छात्र/छात्रा आवेदन स्वंय अपने हाथ से भरा जाए व हस्ताक्षर करें**)**

(कृपया पृष्ठ के पीछे दिए गए नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

1.

प्रमाण–पत्र अनुसार विवरण		**जो सुधार छात्र चाहता है**
नाम		
पिता का नाम		
माता का नाम		
एनरोलमेंट संख्या		
आधार संख्या		

2. परीक्षा का विवरण

परीक्षा	अनुक्रमांक	**सत्र एवं वर्ष**	**संस्थान का नाम/ निजी/ ओपनस्कूल**

3. त्रुटि का कारण (पूर्ण विवरण सहित).....

.....

दिनांक-_____ आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन/प्रमाणन

4. विद्यालय के प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर के अनुसार छात्र का नाम _____ है। जन्म की तारीख_____माता का नाम_____पिता का नाम_____

अनुप्रमाण प्राधिकारी का नाम और पदनाम _____ मोबाइल :_____ ईमेल आईडी-_____	मोहर के साथ हस्ताक्षर (प्रमाणनप्राधिकारी)

5.मूल प्रमाण पत्र/ संशोधन के लिए संलग्न दस्तावेज- _____

_____

6. शुल्क राशि-_____ रसीद संख्या और दिनांक-_____

आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____	आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____

BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, BHIWANI

Cert-35(A)

नाम/पिता/माता के नाम में संशोधन सम्बन्धी नियम

1. छात्र/पिता/माता के नाम में सुधार के लिए, छात्र को निर्धारित आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर संबंधित विद्यालय के प्रमुख से सत्यापित करवाके सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को आवेदन करना होगा। संबंधित स्कूल का मूल रिकॉर्ड, यानी दाखिला खारिज रजिस्टर, प्रवेश पत्र और किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र के साथ सत्यापित फोटो कॉपी जमा करनी होगी तथा पूर्व उतीर्ण की गई बोर्ड परीक्षा का मूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो कि सामान्यतः विद्यालय/परीक्षार्थी अपनी जिम्मेवारी पर उपलब्ध करवायेंगे।
2. जिन छात्रों ने इस बोर्ड से स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें निर्धारित आवेदन–पत्र को अन्त में अध्ययन किए गए विद्यालय के प्रमुख से सत्यापित करवाके सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को आवेदन करना होगा।
3. ओपन स्कूलिंग के उम्मीदवार के रूप में बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाल छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है और आवेदन को मान्यता प्राप्त संस्थान/सरकारी विद्यालय के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
4. सभी उद्देश्यों के लिए निर्धारित संरचना के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। शुल्क किसी भी मामले में अप्रतिदेय है।
5. किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र या जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC) बोर्ड को स्वीकार्य होगा।
6. विदेशों में स्थित बोर्डों/विश्व विद्यालयों और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन किया जाएगा।
7. मूल प्रमाण पत्र, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, यदि प्रार्थी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो आवेदक को इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. जहां विद्यालय के रिकार्ड में माता का नाम उपलब्ध न होने की दशा में (जैसा कि पुराने विद्यालय के रिकार्ड में माता का नाम नही है।) वहां माता का जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे जबकि सशस्त्र बलों में नियोजित व्यक्तियों से संबंधित छात्रों के लिए सम्बन्धित कार्यालय/मुख्य कार्यालय के प्रमाणित पहचान पत्र के किसी भी अभिलेख के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा। प्रमाण के रूप में संबंधित कार्यालय/प्रधान कार्यालय स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि वह प्रथम श्रेणी मजिस्टट द्वारा सत्यापित हो। इसके साथ ही परीक्षार्थी/अभिभावक को इस आशय का प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. यदि आवेदक आवेदन जमा करने के एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उसे रद्द/दायर(File) किया जाएगा, और यदि वह चाहता/चाहती है कि उक्त अवधि के बाद उसके आवेदन पर फिर से विचार किया जाए, तो उसे निर्धारित शुल्क व आवेदन पुनः जमा करना होगा।
10. वर्ष 2008 के बाद जारी प्रमाण पत्र में छात्र/पिता/माता के नाम में सुधार हेतु आवेदन प्रमाण–पत्र जारी होने के चार वर्ष के भीतर स्वीकार्य होगा (तीन वर्ष परीक्षा शाखा व उसके बाद एक वर्ष प्रमाण–पत्र शाखा द्वारा) । हालाँकि, वर्ष 2008 से पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों में सुधार के लिए ऐसी कोई सीमा लागू नहीं है।
11. जहां इस तरह का कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, आवेदनां पर सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा विचार किया जाएगा और उचित साक्ष्य के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
12. जहां नाम के उच्चारण में सुधार के बाद परिवर्तन नहीं होता है और इसे दो अलग–अलग शब्दों में लिखा जाता है, वहां किसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले में, अपेक्षित शुल्क के साथ संबंधित स्कूल से केवल सिफारिशें ही पर्याप्त होंगी।
13. जहां एडमिट कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड फोटो और हस्ताक्षर में बदलाव के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।
14. यदि छात्र संशोधन करवाने के लिए मूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं तो उसे कार्यालय से अनुलिपि प्रमाण–पत्र जारी करवाके आवेदन–पत्र के साथ जमा करवाना होगा।
15. नियमों में एकरूपता के लिए, प्रमाण पत्र में सुधार के लिए प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख के बाद तीन साल के भीतर संबंधित परीक्षा शाखा द्वारा विचार किया जाएगा। हालांकि, तीन साल के बाद प्रमाण पत्र शाखा द्वारा आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित स्कूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़/ओवरराइटिंग न की गई हो।

नोटः क) नियम और विनियमों के अनुसार पुराने प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए उचित सुधार के बाद बोर्ड नया प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ख) आवेदक को प्रत्येक परीक्षा के लिये संशोधन हेतु 300/–रूपये प्रति संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 500/– रूपये अनुलिपि प्रमाण–पत्र शुल्क भी देना होगा। अलग से अनुलिपि प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम शुद्धि शुल्क प्रति प्रमाण पत्र 1100/–रूपये होगा।